क्रम-संख्या–18(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 जनवरी, 2026

पौष 18, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

———————

संख्या 01/2026/26/94-2–2026-700(29)-2021

लखनऊ, 8 जनवरी, 2026

———————

अधिसूचना

आदेश

प0आ0–7

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अग्रिम आदेशों तक, और अधिसूचना संख्या–18/2023/995/94–एस0आर0–2–2023–700(29)–2021 दिनांक 3 अगस्त, 2023 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हों, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्यपाल, नीचे सारणी के स्तम्भ–1 में यथाउल्लिखित पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची–1(ख) के अनुच्छेद 33 के अधीन दान विलेख पर सारणी के स्तम्भ–2 में यथादर्शित धनराशि की सीमा से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं:–

सारणी

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
लिखत का विवरण	अधिकतम स्टाम्प शुल्क
कोई दान विलेख, जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अंतरण दान के रूप में परिवार के निम्न सदस्यों – पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी), सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति) या पौत्र/पौत्री (पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री) के पक्ष में करें।	रुपये 5000/–

1–यदि ऐसी छूट का लाभ उठाने वाले दान विलेख के लिखत द्वारा प्राप्त कोई सम्पत्ति, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से पाँच वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा दान में दी जा रही हो तो उक्त सम्पत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा।

2–यह अधिसूचना केवल किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को दिये गये दान पर लागू होगी। इस अधिसूचना के उपबन्ध किसी वैधानिक विधिक व्यक्ति यथा–फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट या संस्था, चाहे वह दानकर्ता हो या दान प्राप्तकर्ता, या ऐसी इकाइयों के स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

3–इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय, कृष्य, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सम्पत्तियों का दान आच्छादित होगा। किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान इस अधिसूचना के उपबन्धों के अंतर्गत नहीं आयेगा।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2026/26/ XCIV-2–2026-700(29)-2021, dated January 8, 2026 :

No. 01/2026/26/ XCIV-2–2026-700(29)-2021

Dated Lucknow, January 8, 2026

IN exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, until further orders, and in supersession of notification no. 18/2023/995/94-S.R.-2-2023-700(29)/2021 dated August 3, 2023, except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette,* the Governor is pleased to remit the stamp duty, exceeding the extent of the amount as shown in Column-2 of the table below, chargeable on the gift deed under Article 33 of Schedule I-B of the aforesaid Act as mentioned in Column-1 thereof.

TABLE

Column-1	**Column-2**
Description of the Instrument	Maximum Stamp Duty
A gift deed whereby the donor transfers immovable property by way of gift to the following family members son, daughter, father, mother, husband, wife, daughter-in-law (wife of son), real brother, in case of deceased real brother to his widow, real sister, son-in-law (husband of daughter), or grandson/granddaughter (son/daughter of son/daughter).	Rs. 5,000/-

1. If any property received by the instrument of a gift deed availing such exemption is being gifted by the recipient within five years from the date of registration, the gift of the said property shall not be covered under this notification.

339 RPH 2026 (Stamp & Registration-2) data 1e

2.This notification shall apply only to gifts made by a natural person to natural person. The provisions of this notification shall not be effective to any legal/juristic person such as a firm, company, trust, or institution, either as donor or donee, or to any property owned by such entities.

3. Only the gift of residential, agricultural, commercial and industrial properties will be covered under this notification. Gifts of any other type of property shall not fall within the provisions of this notification.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 339 राजपत्र–2026–(1019)–599 प्रतियाँ (डीटी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–2026–(1020)–100+50=150 प्रतियाँ (डीटी0पी0/ऑफसेट)।
339 RPH 2026 (Stamp & Registration-2) data 1e